

FORM NO. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)


सुपरवाइजर कारिब कारी मुकाम सुरजगढ
 शिवपाल सिंह बनाम विनोद कुमार वर्मा
 आमन्दा दिनांक 22-12-17 नं 123 सन 2017

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

0-17 आज यह आमन्दा पत्र सादर दिनांक 22-12-17 को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में दायर किया गया है। वकील पक्षकारान उपस्थित पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण अन्य कार्य पर है मिसल आमन्दा दिनांक दिनांक 22-12-17 को पेश हो


 उपखण्ड, अधिकारी, सुरजगढ


22-12-17 वकील पक्षकारान उपस्थित पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण अन्य कार्य पर है मिसल आमन्दा दिनांक दिनांक 22-12-17 को पेश हो


 रीडर

23-12-17 वकील पक्षकारान उपस्थित पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण अन्य कार्य पर है मिसल आमन्दा दिनांक दिनांक 23-12-17 को पेश हो


 रीडर

23-1-18 वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनांक दिनांक 13-1-18 को पेश हो।


 रीडर

तारीख हकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम की में जारी
--------------	-----------------------------------	---------------------------------------

मेरे पति
शिवपाल
मेरे बेटे के
लक्ष्मी देव
का



निवासी

विनोद उमा

श्रीराम

वकील प्राची उपस्थित। अपात्री सं. 1, 2
 स्वयं उपस्थित। वकील प्राची व अपात्री
 संख्या के 2 ने विवेक किया कि
 प्राची/शिवपाल का उद्योग हो चुका
 है। जितना मूल्य प्राप्त पत्र जारी
 करवाकर चेष किया गया। प्राची
 शिवपाल की पत्नी व अपात्री सं. 1, 2
 की भाग भी उपस्थित। अपात्री
 की भाग पर कब्जे की कथं कि
 मेरे पति शिवपाल का उद्योग
 हो चुका है तथा मेरे बेटे की
 सेवा भाव देखना शुरू करते
 हैं। मुझे इनके मेरी शिवालय की
 मेरे पुत्र के अलग-थलग
 करते हैं। सुना गया। पत्रावली
 का बकाया कि किया गया। पत्रावली
 इसी तरह पर खारीज की जारी
 है। पत्रावली लक्ष्मी देव के मरने के
 ताबिले दफ्तार है।

(Signature)